



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68270

Dated: - 28/07/2025

अधिसूचना

विषय: सत्र 2025-2027 हेतु अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के राष्ट्रीय समन्वयकों (National Coordinators) एवं प्रांतीय/राज्य समन्वयकों (Provincial/State Coordinators) की पुनर्गठित सूची का विधिक अनुमोदन, पदस्थापन एवं आधिकारिक अधिसूचना।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 18(2) एवं सांगठनिक उप-विधियों की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शासी निकाय (Governing Council) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव संख्या CEC-03/2025 के अनुसरण में, **परिषद के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सांगठनिक ढांचे का पुनर्गठन** किया जाता है। नव-नियुक्त/पुनर्गठित राष्ट्रीय एवं राज्य समन्वयकों की आधिकारिक सूची तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है:

1. संक्षिप्त नाम, अधिकार क्षेत्र एवं कालावधि

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय समन्वयक पुनर्गठन अधिसूचना, 2025' कहलाएगी।
- 1.2 इस अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्त समस्त समन्वयकों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से आगामी दो वर्ष (अर्थात् 31 दिसंबर 2026 तक) अथवा शासी निकाय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।
- 1.3 पूर्व में नियुक्त समस्त तदर्थ/कार्यवाहक समन्वयकों के दायित्व इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से स्वतः निष्प्रभावी माने जाएंगे।

2. राष्ट्रीय समन्वयकों की पुनर्गठित सूची

संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं राष्ट्रीय जोनल प्रभागों के सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रीय समन्वयकों का पदस्थापन निम्नवत् अनुमोदित है:

क्र.सं.	जोन / कार्यक्षेत्र (Zone/Domain)	नामित राष्ट्रीय समन्वयक	संबद्ध मुख्यालय / केंद्र
1	राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक (समग्र भारत)	डॉ. गुरुबचन सिंह बेदी	केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
2	राष्ट्रीय समन्वयक (उत्तर क्षेत्र - J&K, HP, PB, HR, DL, UK)	आचार्य विद्याधर शास्त्री	चंडीगढ़ / नई दिल्ली
3	राष्ट्रीय समन्वयक (पश्चिम क्षेत्र - MH, GJ, RJ, GA)	फादर जोसेफ डिसूजा	मुंबई (महाराष्ट्र)
4	राष्ट्रीय समन्वयक (दक्षिण क्षेत्र - TN, KA, KL, AP, TS)	श्री मुत्तूस्वामी कृष्णन	चेन्नई (तमिलनाडु)
5	राष्ट्रीय समन्वयक (पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र - WB, OD, BH, JH, NE)	मौलाना सैयद अनवर अली	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
6	राष्ट्रीय समन्वयक (मध्य क्षेत्र - MP, CG, UP)	डॉ. प्रफुल्ल कुमार जैन	भोपाल (मध्य प्रदेश)

7	राष्ट्रीय समन्वयक (युवा एवं छात्र संभाग)	श्री सिद्धार्थ देवरंजन	बेंगलुरु (कर्नाटक)
8	राष्ट्रीय समन्वयक (महिला सशक्तीकरण संभाग)	श्रीमती अंजना बेन पटेल	अहमदाबाद (गुजरात)

3. प्रांतीय / राज्य समन्वयकों की पुनर्गठित सूची

प्रांतीय स्तर पर अंतर-धार्मिक संवाद, शांति दूतों के पंजीकरण एवं सांगठनिक विस्तार हेतु राज्यवार समन्वयकों की नियुक्ति निम्न प्रकार विहित की जाती है:

क्र.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	नामित प्रांतीय / राज्य समन्वयक	संस्थागत पृष्ठभूमि / निवास
1	उत्तर प्रदेश	पंडित राघवेंद्र त्रिपाठी	वाराणसी / लखनऊ
2	महाराष्ट्र	एडवोकेट सुहास दांडेकर	पुणे / मुंबई
3	पश्चिम बंगाल	श्री सौमेन चक्रवर्ती	कोलकाता
4	तमिलनाडु	डॉ. आर. सुंदरराजन	मदुरै / चेन्नई
5	गुजरात	श्री भद्रेश भाई मेहता	सूरत / गांधीनगर
6	मध्य प्रदेश	डॉ. मोहम्मद शफीक कुरैशी	इंदौर / जबलपुर
7	राजस्थान	श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत	जयपुर / अजमेर
8	कर्नाटक	रेवरेंड डेविड भास्करन	बेंगलुरु / मैसूर
9	बिहार	प्रो. ब्रजकिशोर नारायण	पटना / बोधगया
10	पंजाब एवं चंडीगढ़	सरदार हरप्रीत सिंह गिल	अमृतसर / लुधियाना
11	केरल	श्री जॉर्ज के. वर्गिस	कोच्चि / तिरुवनंतपुरम
12	असम एवं पूर्वोत्तर संभाग	श्री देबजीत बरुआ	गुवाहाटी (असम)

4. विधिक अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व

नियुक्त समस्त समन्वयकों को निम्नलिखित विधिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना होगा:

- 4.1 जिला स्तरीय सर्वधर्म सौहार्द समितियों (District Interfaith Committees) का गठन पदभार ग्रहण के 60 दिनों के भीतर पूर्ण करना।
- 4.2 अपने क्षेत्राधिकार में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तनाव की परिस्थितियों में त्वरित मध्यस्थता एवं शांति बहाली तंत्र सक्रिय करना।
- 4.3 आगामी 'विश्व सर्वधर्म महासम्मेलन 2025' हेतु जमीनी स्तर पर प्रतिनिधिमंडलों का चयन, पंजीकरण एवं समन्वयन सुनिश्चित करना।
- 4.4 प्रत्येक तिमाही की 5 तारीख तक केंद्रीय सचिवालय को सांगठनिक प्रगति एवं वित्तीय लेखा-जोखा आख्या अनिवार्य रूप से संप्रेषित करना।

5. आचार संहिता एवं प्रशासनिक सीमाएं

- 5.1 कोई भी समन्वयक केंद्रीय शासी निकाय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना परिषद के नाम पर किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता, ऋण अथवा अचल संपत्ति अनुबंध निष्पादित नहीं करेगा।
- 5.2 परिषद एक पूर्णतः गैर-राजनीतिक एवं पंथनिरपेक्ष निकाय है; अतः किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में परिषद के मंच या पदनाम का उपयोग पूर्णतः वर्जित एवं दंडनीय होगा।
- 5.3 अनुशासनहीनता अथवा संगठन के मूल आदर्शों के प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष को संबंधित पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का विशेषाधिकार होगा।

6. पदभार ग्रहण एवं शपथ

समस्त नव-नियुक्त समन्वयकों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर केंद्रीय सचिवालय में विहित प्रारूप में 'सद्भाव एवं निष्ठा की शपथ' (Oath of Allegiance & Interfaith Harmony) प्रस्तुत कर कार्यभार संभालना होगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 28 / 07 / 2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद